न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 4/2024, उनवान रघुवीर/रामकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2026	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की दिनांक 6.01.2026 को बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनवानी प्रकरण रघुवीर बनाम रामकरण वगैरह में भूमि खसरा नं. पुराने 334/5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वर्तमान खसरा नं. 909 रकबा 0.92 है0 वाके रामा दुब्बी तहसील सिकराय मे स्थित है उक्त खसरा नम्बरान की भूमि बद्री गुर्जर निवासी दुब्बी को अलॉट हुई थी लेकिन उसका आज दिन तक इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटि एक राजकीय कर्मचारी रहा है जो कि भूमि आवंटन कराने की श्रेणी में नहीं आता है आज दिन तक यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में आम जनता का हक निहित है आम जनता के पशु चरते है तथा सार्वजनिक उपयोग में लेते है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कोई आगामी कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थीगण को सुना जाना आवश्यक होता है जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सके अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण हरज्ञान पुत्र भब्बड , रामकरण पुत्र सावल्या जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा को पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि जिस भूमि खसरा नम्बरान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में उल्लेख किया गया है उक्त भूमि का विचाराधीन प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 29.06.2000 को अप्रार्थी संख्या 1. रामकरण पुत्र सावल्या गुर्जर निवासी दुब्बी के पक्ष में ग्राम दुब्बी स्थित भूमि खसरा नं. 330/3 रकबा 8 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसको न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 28.01.2004 को निरस्त किया गया था जिसकी अपील न्यायालय भूप्रंबध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां करने पर उनके निर्णय दिनांक 21.06.2005 द्वारा अपील खारिज कर दी गई है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.01.2004 की पालना करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रामकरण पुत्र सावल्या गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय पूर्व से ही विचारधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 पर पक्षकार अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज फरमावें। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी रामकरण पुत्र सावल्या विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 पर पूर्व से ही अंकित है इसलिए पुनः पक्षकार बनाये जाने का औचित्य नहीं है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.01.2004 में दिनांक 29.06.2000 को रामकरण पुत्र सावल्या गुर्जर को ही भूमि आवंटन किये जाने का उल्लेख किया गया है इसलिए हरज्ञान पुत्र भब्बड गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय को पक्षकार बनाये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार शर्मा को अप्रार्थी रामकरण पुत्र सावल्या गुर्जर की ओर से पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.01.2026 को पेश हो। 13/1/2026 अति. जिला कलक्टर	

23-1-26

आज दार ... रागित रस्तान।

पत्रावली नियत दिनांक 03-2-26 को पेश हो।

03-2-26

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस हेतु दस्तावेज एकत्रित करने का समय चाहते हुए बहस हेतु निवेदन करते हुए अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10-2-26 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

10-2-26

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु एक अवसर और चाहा गया। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दस्तावेज पेश करने एवं बहस हेतु दिनांक 17-02-26 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

17-2-26

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 21-6-2005 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल जयपुर कैम्प जयपुर में विचाराधीन अपील उनवानी रामकरण बनाम बद्री व अन्य की सत्यप्रति पेश की गई। अति. निबंधक (न्याय) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली के 20/2000 बउनवान बद्री बनाम रामकरण निर्णय दिनांक 28-1-2004 मण्डल में भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन :: क्रमशः

अति. जिला कलक्टर
दौसा

...ीख ...ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया। प्रार्थी रघुवीर पुत्र बदरी गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय द्वारा प्रार्थनापत्र 14(4) कु.नं. 20/2000 उनवानी बद्री बनाम रामकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-1-2004 की पालना रिकॉर्ड में कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। किन्तु अति. निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा मण्डल में विचाराधीन प्रकरण सं. एलआर/अपील/2018/5524 जिला दौसा बउनवान रामकरण बनाम बद्री में उक्त पत्रावली नं. 20/2000 उनवान बद्री बनाम रामकरण निर्णय दिनांक 28-1-2004 को तलब किया जा चुका है। प्रकरण में राजस्व मण्डल राज. अजमेर में अपील विचाराधीन होने पर इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17-2-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/2/26 अरविन्द शर्मा अति. जिला कलक्टर दौसा (राज.)	